मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–..... **राँची / दिनांक.....**

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार
मुख्य अभियंता (मो०)

सेवा,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड।

विषयः– **Electronic Payments & Receipts को अंगीकृत करने की मार्गदर्शिका के संबंध में।**

प्रसंगः– **योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) का पत्रांक–वित्त–20 / विविध–14 / 2016–3443 / वि० राँची, दिनांक–06.12.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुये निदेशानुसार सूचित करना है कि अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पत्र में वर्णित सरकारी निदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस मामले में विभाग में नवनियुक्त अधिकांश कनीय अभियंता जो Mobilapps एवं Computer में सिद्धहस्त हैं, आवश्यकतानुसार उन्हें विषयान्तर्गत कार्य में सहयोग एवं समन्वय स्थापन हेतु सम्बद्ध किया जाय।

अनु०–यथोक्त्।

विश्वासभाजन
ह०/–

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–..... **राँची / दिनांक.....**

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक सहित विभागीय सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्यालय अवस्थित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। आवश्यकतानुसार लेखा–अधिकारी / लेखापाल एवं अन्य समबद्ध कर्मचारी को भी प्राथमिकता देकर प्रशिक्षत किया जाय।

अनु०–यथोक्त्।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक– 1420 **राँची / दिनांक** 20.12.2016

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.XII.2016
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

भारत सरकार
Government of India
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Electronics & Information Technology
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन / Electronics Niketan
6, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स / 6, C G O Complex
नई दिल्ली-110003 / New Delhi-110003
Website: www.meity.gov.in

Ramesh Kumar Sudhanshu
Joint Secretary
दूरभाष / Tele: Email: rksudhanshu@meity.gov.in
अ॰ स॰ पत्र स॰ Tel: 24361951/Fax: 24364743
D.O.No. 3(2)/2016-EG.II

दिनांक / Dated 11th November, 2016

Subject: Guidelines for Adoption of Electronic Payments & Receipts in Government.

Dear Sir/Madam,

As you are aware, Government of India has the ambitious programme of "Digital India" with a vision to transform India into a digitally empowered society. The Digital India Apex Committee meeting held on 15th October, 2015 under the Chairmanship of Cabinet Secretary, had decided that at least 90 percent of all the Government payments and receipts to be made electronic by 31st December, 2016 and fully electronic by 31st March, 2017.

2. Taking this into consideration, MeitY has published a "Guidelines for Adoption of Electronic Payments and Receipts". The guideline aims to provide guidance for adopting electronic payments through various payment channels and modes, depending upon the present state of IT readiness.

3. In this regard, it is requested to kindly encourage Departments/Autonomous bodies/Municipalities etc; in your State which receives or make payments non-electronically, to comply with the guideline available at http://meity.gov.in/whatsnew/EPRframework.pdf or http://egovstandards.gov.in for smooth transition towards electronic transactions.

With regards,

Yours sincerely,

(R.K. Sudhanshu)

To:

Chief Secretaries of all States / Administrations of Union Territories

मुख्य सचिव कार्यालय
झारखण्ड, राँची
गै.स.प्रे.सं. 5302
तिथि 22/11/16

Digital India
Power To Empower

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ELECTRONICS INDIA
Billion Needs Million Chips

पत्रांक : वित्त–20/विविध–14/2016 3443/वि.

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 06.12.2016

विषय : **Electronic Payments & Receipts को अंगीकृत करने की मार्गदर्शिका के संबंध में।**

महोदया/महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र सं॰ 3(2)/2016–EG II दिनांक 11.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ लिया जाय।

सम्प्रति भारत सरकार द्वारा "Digital India" कार्यक्रम के तहत देश को पूर्णतः Digitally अधिकृत समाज बनाने के दृष्टिपथ में Electronic Payments & Receipts को अंगीकृत करने संबंधी मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसे http://meity.gov.in/whatsnew/EPRframework.pdf या http://egovstandards.gov.in में देखी जा सकती है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक सभी प्रकार के सरकारी भुगतान एवं प्राप्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने हेतु दिनांक 31.12.2016 एवं पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक करने हेतु दिनांक 31.03.2017 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्णित प्रसंग में अनुरोध है कि आपके विभाग एवं अधीनस्थ सभी स्वायत्तशासी निकायों/नगर निगमों/नगर पालिकाओं में Electronic Transactions को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु॰ : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।